SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 286 OR 287 OF THE BHARATIYA NAGARIK SURAKSHA SANHITA, 2023

In the Court of श्वेता मिश्रा, J.M.F.C. Dr. Ambedkar Nagar, (M.P.)

Case No. Sum/ 434 **/2026 Complaint or report made on.** 27/2026

Name and address of the complainant आबकारी वृत्त महू "अ" वि. दिपक

Name, praentage, caste and address of accused

अभियुक्त का नाम– दिपक s/o धनश्याम राठौर 35.34 वर्ष
नि. सांई रेसीडेंसी महू इंदौर

The offence complained of, and date of, its alleged commssion

यह कि आपने दिनांक 03/07/2026 को समय लगभग 1.00 PM बजे, स्थान– सांई रेसीडेंसी महू इंदौर

में 12 पाव देशी मारिश प्लेन (2.17 ली.) को बिना अनुज्ञप्ति अपने आधिपत्य में रखी।

इस प्रकार आपने यह अपराध कारित किया जो कि मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34(1)(क) के अंतर्गत दण्डनीय हैं और इस न्यायालय के संज्ञान क्षेत्र में आता हैं। क्या आप अपराध करना स्वीकार करते हो या प्रतिरक्षा चाहते हो?

श्वेता मिश्रा
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
डॉ.अंबेडकर नगर, जिला इंदौर म.प्र.

The plea of the accused and his examination (if any)

अभियुक्त का अभिवाक–
अपराध स्वीकार है.

दीपक

श्वेता मिश्रा
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
डॉ.अंबेडकर नगर, जिला इंदौर म.प्र.

The offence proved, if any, and in case under clause,(d) clause (e) clause (f) or clause (g) of Sub-section (i) of Section 283 the value of the property in respect of which the offeance has been committed.

—: निर्णय :—

(आज दिनांक 12/08/2026 को घोषित)

1— अभियुक्त पर मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34(1)(क) के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियोग हैं।

2— उपरोक्तानुसार अभियुक्त के विरूद्ध मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34(1)(क) के अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाये जाने पर अभियुक्त द्वारा स्वेच्छापूर्वक अपराध करना स्वीकार किया। अभियुक्त की स्वेछया अभिस्वीकृति के आधार पर उसे मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34(1)(क) के अधीन दण्डनीय अपराध हेतु दोषी पाये जाने से दोषसिद्ध घोषित किया जाता हैं।

3— दण्डादेश पर विचार किया गया दोषी के विरूद्ध पूर्व दोषसिद्धी का अभियोजन नहीं हैं। इस तथ्य को देखते हुए एवं दोषी की सामाजिक एवं आर्थिक दशा को दृष्टिगत रखते हुए उसे मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34(1)(क) के अधीन दण्डनीय आरोप हेतु 800/- रूपये (आठ सौ रूपये) रूपये के अर्थदण्ड तथा न्यायालय उठने तक के कारावास से दण्डित किया जाता हैं। अर्थदण्ड के व्यतिकम की दशा में अभियुक्त को 10 दिन का साधारण कारावास पृथकतः भुगताया जाए।

4— प्रकरण में जप्तशुदा 12 पाव देशी भारित प्लेन (2.17 ली.) मूल्यहीन होने से अपील न होने की दशा में अपील अवधि पश्चात् नष्ट किया जाए। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार संपत्ति का निराकरण किया जाए।

स्थान :— डॉ.अंबेडकर नगर, जिला इंदौर (म.प्र.)
निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित व
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

12/08/2026
(श्वेता मिश्रा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
डॉ.अंबेडकर नगर, जि. इंदौर (म.प्र.)

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

12/08/2026
(श्वेता मिश्रा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
डॉ.अंबेडकर नगर, जि. इंदौर (म.प्र.)